



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112024-258648
CG-DL-E-14112024-258648

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4539]
No. 4539]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 14, 2024/कार्तिक 23, 1946
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 14, 2024/KARTIKA 23, 1946

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2024

का.आ. 4921(अ).—जबकि, मणिपुर सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 26.09.2024 की अधिसूचना संख्या 2/8(6)/2022-एच (एएफएसपीए) के तहत मणिपुर राज्य में नीचे सूचीबद्ध 19 (उन्नीस) पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण मणिपुर राज्य को 1 अक्टूबर, 2024 से 6 (छह) महीने की अवधि के लिए "अशांत क्षेत्र" घोषित किया है :-

क्रमांक	पुलिस थाने	क्रमांक	पुलिस थाने
1	इम्फाल	11	लामलाई
2	लाम्फेल	12	इरिलबंग
3	सिटी	13	लीमाखोंग
4	सिंगजामेई	14	थौबल
5	सेकमाई	15	बिष्णुपुर
6	लामसांग	16	नामबोल

7	पाटसोई	17	मोइरांग
8	वांगोई	18	काकचिंग
9	पोरोम्पैट	19	जिरीबाम
10	हिंगांग		

और जबकि, मणिपुर राज्य में सुरक्षा स्थिति की हितधारकों के साथ परामर्श करके आगे समीक्षा की गई है। यह पाया गया है कि मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के कारण स्थिति अस्थिर बनी हुई है एवं बिष्णुपुर-चुराचंदपुर, इंफाल ईस्ट-कांगपोकपी-इंफाल वेस्ट व जिरीबाम जिलों के सीमांत हिंसा-ग्रस्त क्षेत्रों में रुक-रुक कर गोलीबारी हो रही है तथा हिंसा के जघन्य कृत्यों में विद्रोही समूहों की सक्रिय भागीदारी के कई उदाहरण सामने आए हैं।

और जबकि, ऐसी समीक्षा के पश्चात, केन्द्र सरकार की यह राय है कि मणिपुर के 5 जिलों के निम्नलिखित 6 (छह) पुलिस थानों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां), अधिनियम, 1958 लागू करना आवश्यक है, ताकि सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षा स्थिति बनाए रखने तथा इन क्षेत्रों में विद्रोही समूहों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सुसमन्वित कार्रवाई की जा सके:-

क्रमांक	पुलिस थाने	जिले
1.	सेकमाई	इंफाल वेस्ट
2.	लामसांग	
3.	लामलाई	इंफाल ईस्ट
4.	जिरीबाम	जिरीबाम
5.	लीमाखोंग	कांगपोकपी
6.	मोइरांग	बिष्णुपुर

अब, इसलिए, मणिपुर में उपर्युक्त 6 (छह) पुलिस थानों के अधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत दिनांक 31.03.2025 तक, यदि इस अधिसूचना को इससे पहले वापस नहीं लिया जाता है, तत्काल प्रभाव से 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाता है।

[फा. सं. 11011/51/2015-एन.ई.-V]

पियूष गोयल, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2024

S.O. 4921(E).—Whereas the Government of Manipur in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Manipur excluding the areas falling under the jurisdiction of the 19 (nineteen) Police Stations listed below as “Disturbed Area” for a period of 6 (six) months with effect from 1st October, 2024 vide Notification No. 2/8(6)/2022-H(AFSPA) dated 26th September, 2024 :-

Sl. No.	POLICE STATIONS	Sl. No.	POLICE STATIONS
1	Imphal	11	Lamlai
2	Lamphel	12	Iribung
3	City	13	Leimakhong
4	Singjamei	14	Thoubal
5	Sekmai	15	Bishnupur
6	Lamsang	16	Nambol
7	Patsoi	17	Moirang
8	Wangoi	18	Kakching
9	Porompat	19	Jiribam
10	Heingang		

And whereas the security situation in the State of Manipur has been further reviewed in consultation with the stakeholders. It is noted that situation continues to remain volatile amidst ongoing ethnic violence in Manipur and intermittent firing in violence-prone areas continues in the fringe areas of Bishnupur-Churachandpur, Imphal East-Kangpokpi-Imphal West and Jiribam districts with several instances of active participation of insurgent groups in heinous acts of violence.

And whereas after such review, the Central Government is of the opinion that imposition of Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 in the below mentioned 6 (six) Police Stations of 5 districts in Manipur is warranted to carry out well-coordinated Operations by the security forces to maintain the security situation and contain the activities of insurgent groups in these areas:-

Sl. No.	Police Stations	Districts
1.	Sekmai	Imphal West
2.	Lamsang	
3.	Lamlai	Imphal East
4.	Jiribam	Jiribam
5.	Leimakhong	Kangpokpi
6.	Moirang	Bishnupur

Now, therefore, the areas falling under the jurisdiction of above mentioned 6 (six) Police Stations in Manipur are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 with immediate effect up till 31.03.2025, unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/51/2015-NE.V]

PIYUSH GOYAL, Addl. Secy.